

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 38/2023

1. कुलवंत सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।
2. बलवन्त सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र हजुर सिंह जाति जटसिख निवासी गुरुसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1953

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता --प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --अप्रार्थी

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 30.5.24

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में है कि तहसील पीलीबंगा के चक 35 एमओडी पटवार हल्का खोथावाली के सम्बन्ध जमाबन्दी 2043-2043 खाता संख्या 12/13 के प.न. 40/260(12)के किला न. 11.139 है. जिसमें .126 है. नहरी .013 है. रास्ता, 21.253 जिसमें .228 है , 0.25 है रास्ता ,3/253 जिसमें .228 है नहरी 0.25 है रास्ता, 41.253 जिसमें .228 है. नहरी , 0.025 है रास्ता, 51.253 है. जिसमें .203 है नहरी, .025 है रास्ता, 0.25 है खाला, 61.253 जिसमें .228 है नहरी , 0.25 है रास्ता , 7 ता 14,151.253 जिसमें .228 है नहरी , .025 है खला व प.न. 39/260(13) के किला न 1,2 की कुल 3.959 है. भूमि जिसमें 3.771 है नहरी 0.113 है. रास्ता .075 है खला दर्ज राजस्व रिकार्ड था। जिसका खातेदार गुरदयाल सिंह पुत्र केशरसिंह निवासी जोडकिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर था।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित चक 35 एमओडी के सम्बन्ध 2047 की जमाबन्दी तैयार करते समय खाता संख्या 12/12 प.न. 40/260(12) के किला न. 11.139 है. जिसमें .126 है. नहरी .013 है. रास्ता, 21.253 जिसमें .228 है , 0.25 है रास्ता ,3/253 जिसमें .228 है नहरी 0.25 है रास्ता, 41.253 जिसमें .228 है. नहरी , 0.025 है रास्ता, 51.253 है. जिसमें .203 है नहरी, .025 है रास्ता, 0.25 है खाला, 61.253 जिसमें .228 है नहरी , 0.25 है रास्ता , 7 ता 14,151.253 जिसमें .228 है नहरी,.025 है खला व प.न. 39/260(13) के किला न 1,2 की कुल 3.959 है. भूमि जिसमें 3.771 है नहरी 0.113 है. रास्ता .075 है खाला खला दर्ज राजस्व रिकार्ड था। जिसका रिकोर्डेड खातेदार गुरदयाल सिंह पुत्र केशरसिंह है। उक्त जमाबन्दी तैयार करते समय सहबन से उक्त खाता के प.न. 40/260 में किला न 16 अतिरिक्त गलती से दर्ज हो गया जबकि गुरदयाल सिंह किला न 16 का खातेदार नहीं था तथा उक्त जमाबन्दी के किला न 13 पर सहबन गलती से कटौत की गई। सम्बन्ध 2047 की जमाबन्दीयों के पश्चात गुरदयाल सिंह के नाम की उक्त वर्णित 3.995 है. भूमि राजस्व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



रिकार्ड में किला न 13 विलोपित हो गया व 13 के स्थान पर किला न. 16/.253 जिसमें .228 है. नहरी व .025 है. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड होने लगा।

प्रश्नगत रकबा के रिकोर्डिड खातेदार गुरदयाल सिंह अपने नाम गलती से दर्ज हुए प. न. 40/260 के किला न 16/.253 जिसमें 228 है. नहरी व .025 है. खाला को विलोपित करने व किला न 13 पूर्व की भांति उसके नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया जिस पर दिनांक 01.08.2006 को शुद्धीपत्रांक -1 के द्वारा प.न. 40/260 के किला न 16 की जगह किला न 13 दर्ज किया गया का अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2059 में दर्ज किया गया। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प.न. 40/260 के किला न 16 के स्थान पर किला न 13 सम्वत् 2063 की जमाबन्दी में दर्ज किया गया परन्तु किला न 13 में कभी किसी रूप में .025 है गैरमुमकिन खाला नहीं रहा रहा होने के बावजूद भी किला न 16 में .025 है खाला दर्ज होने के कारण किला न 13 में भी .025 है गैरमुमकिन खाला दर्ज कर दिया गया जोकि उस समय से वर्तमान तक राजस्व रिकार्ड में किला न 13 में .228 है नहरी व .025 है गैरमुमकिन खाला दर्ज चल रहा है जबकि किला न 13 में न तो कभी किसी रूप में खाला रहा तथा न ही वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 01.12.2022 को अधिषाशी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ द्वारा दिनांक 01.12.2022 को इस आशय की तस्दीक दी गई कि किला न 13 में जलमार्ग स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गुरदयाल सिंह पुत्र केशर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान से उसकी चक 35 एमओडी पटवार हल्का खोथावाली के खाता संख्या खाता संख्या 12/13 के प.न. 40/260(12)के किला न. 1/.139 है. जिसमें .126 है. नहरी .013 है. रास्ता, 2/.253 जिसमें .228 है , 0.25 है रास्ता ,3/253 जिसमें .228 है नहरी 0.25 है रास्ता, 4/.253 जिसमें .228 है. नहरी , 0.025 है रास्ता, 5/.253 है. जिसमें .203 है नहरी, .025 है रास्ता, 0.25 है खाला, 6/.253 जिसमें .228 है नहरी , 0.25 है रास्ता , 7 ता 14,15/.253 जिसमें .228 है नहरी , .025 है खला व प.न. 39/260(13) के किला न 1,2 की कुल 3.959 है. भूमि जिसमें 3.771 है नहरी 0.113 है. रास्ता .075 है खला की भूमि समय समय पर बैयनामा खरीद की गई है उक्त भूमि वर्तमान में खाता संख्या 44,50,74 के जरिये प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 35 एमओडी के खाता संख्या 74/18 में किला 13 में 0.228 है नहरी .025 है गैरमुमकिन खाला के स्थान पर किला न 13 की 0.253 है कृषि भूमि दर्ज की जावे।

चक 35 एमओडी के प.न. 40/260 किला न 13 की 0.253 है नहरी भूमि के स्थान पर किला न 13 में .228 है नहरी व .025 है गैरमुमकिन खाला जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो कि जमाबन्दी तैयार करते समय सहबन से नहरी भूमि के स्थान पर .025 है भूमि गैरमुमकिन खाला दर्ज हो गई है को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज खाता 74/18 में प्रार्थीगण के नाम किला न 13 की 0.253 है नहरी भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 35 एमओडी के खाता संख्या 74/18 में जर्द प.न. 40/260(12) का किला न 12/1/.012 है. नहरी , 13/1/.228 है नहरी , 13/2/.025 है. गैरमुमकिन खाला किला न 14/.253 है. 15/1/.228 है. 15/2/.025 है गैरमुमकिन खाला की कुल 0.771 है भूमि जिसमें .721 है. नहरी व .050 है भूमि गैरमुमकिन खला दर्ज रिकार्ड है में किला न 13/1/.228 है नहरी व 13/2/.025 है गैरमुमकिन खाला के स्थान पर 13/0.253 है. नहरी भूमि व भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल में दर्ज 0.721 है नहरी भूमि के स्थान पर 0.746 है नहरी व गैरमुमकिन खाला की .050 है भूमि के स्थान पर .025 है गैरमुमकिन खला जरिये दुरुस्ती दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावे।


प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2024/894 दिनांक 07.02.2024 से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 35 एमओडी प.न. 40/260 मु.न. 12 किला न 12/1/.012, 13/1/.228, 14/.253, 15/1/.228 नहरी व किला न 13/2/.025, 15/2/.


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

025 है गैर मुमकिन खाला कलवंत सिंह -बलवंत सिंह पिसरान हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसर मोडिया खातेदार दर्ज है प.न. 40/260 मु.न. 12 के किला न 13/21.025 है गैरमुमकिन खाला की जगह वर्तमान में मौके पर खाला नहीं है जमाबंदी सम्बत 2059 ता 2062 में प.न.40/260 किला न 13/.253 नहरी दर्ज है मौके पर खाला चालू नहीं है व नही कोई विवाद व स्थगन है।

-:: आदेश ::-

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण चक 35 एमओडी के खाता संख्या 74/18 में जर्द प.न. 40/260(12) का किला न 12/11.012 है. नहरी , 13/11.228 है नहरी , 13/21.025 है. गैरमुमकिन खाला किला न 14/.253 है. 15/11.228 है. 15/21.025 है गैरमुमकिन खाला की कुल 0.771 है भूमि जिसमें .721 है. नहरी व .050 है भूमि गैरमुमकिन खला दर्ज रिकार्ड में किला न 13/11.228 है नहरी व 13/21.025 है गैरमुमकिन खाला के स्थान पर 13/0.253 है. नहरी भूमि व भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल में दर्ज 0.721 है नहरी भूमि के स्थान पर 0.746 है नहरी व गैरमुमकिन खाला की .050 है भूमि के स्थान पर .025 है गैरमुमकिन खाला जरिये दुरुस्ती दर्ज राजस्व रिकार्ड भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 30.5.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई^{आर.ए.एस.})
उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टेपत्रहायक कलक्टर
पीलीबंगा